संख्या-37/2024/598/एक-5-2024-41/2023

प्रेषक,

अनिल कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5 **लखनऊ :: दिनांक 26 जुलाई, 2024**

विषय- जनपद जालौन की तहसील उरई के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0- 506/12-भवन-57/2008 दिनांक 24.06.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद जालौन की तहसील उरई के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत रू0 1112.62 लाख जी0एस0टी0 सहित की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 191.57 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या- 21/2023/925/एक -5-2023-41/2023 दिनांक 13.10.2023 द्वारा अवमुक्त/स्वीकृत की गई है।

3- उक्त के क्रम में जनपद जालौन की तहसील उरई के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित लागत रू0 1112.62 लाख के सापेक्ष रू0 191.57 लाख अवमुक्त किये जाने के अनुक्रम में उक्त अनुमोदित लागत की अवशेष धनराशि रू0 921.05 लाख में से धनराशि रू0 500.00 लाख (रू0 पांच करोड़ मात्र) द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत कर नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) राजस्व परिषद द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि नियमानुसार आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 को उक्त प्रयोजन हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी।

(2) वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने विषयक वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 में निहित व्यवस्थानुसार राजस्व परिषद द्वारा इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि कार्यदायी संस्था के पास कार्य की आवश्यकता से अधिक धनराशि न हो।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करायी जाय और इसकी जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(4) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी। यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2014 में दिये गये निर्देश के आलोक में कार्य की वास्तविक लागत के आधार पर नियमानुसार व्यय किये जाने के उपरान्त यदि धनराशि शेष बचती है तो उसे निर्धारित प्रक्रियानुसार राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9) प्रायोजना के संबंध में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉं एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से प्रायोजना की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जायेगी।

(10) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(11) प्रायेाजना प्रस्ताव में प्रस्तावित बाटआउट/प्रोपराइटरी श्रेणी के आइटम्स का क्रय तथा इन पर धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि एवं स्वीकृत लागत में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा। भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

(13) अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) प्रश्नगत परियोजना हेतु निर्गत शासनादेश संख्या- 21/2023/925/एक-5-2023-41/2023, दिनांक 13.10.2023 में उल्लिखित अन्य शर्तों का भी पूर्णता अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2004 का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सम्मिलित है। कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्य मद में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-800-अन्य व्यय-21 प्रदेश के मण्डल/ जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवनों के चालू कार्यो एवं भूमि क्रय हेतु-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-37/2024/598 (1)/एक-5-2024-41/2023:: तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- कोषाधिकारी, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- जिलाधिकारी, जालौन ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, गोमती बैराज, बायां तट, लखनऊ/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, निर्माण इकाई-12, झांसी ।
8- श्री राम केवल, विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट एलाटमेन्ट सिस्टम, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन ।
9- राजस्व अनुभाग-6 ।
10- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(दया शंकर ओझा)
उप सचिव।